न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, लटेरी, जिला विदिशा (म0प्र0)
(पीठासीन : विवेक सिंह रघुवंशी)

सत्र प्रकरण क्रमांक – 01/2018
फाइलिंग नं0– 36/2018
संस्थापन दिनांक– 17.01.2018

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा पुलिस थाना आनंदपुर, जिला विदिशा म0प्र0

.....अभियोगी

विरूद्ध

1– सचिन पिता सुरेश शर्मा, आयु–31 वर्ष
2– अरविंद पिता सुरेश शर्मा, आयु–28 वर्ष
निवासीगण काछीखेड़ा, थाना आनंदपुर, जिला विदिशा म0प्र0

.....अभियुक्तगण

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लटेरी (श्री भारत सिंह कनेल) द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 494/17 में पारित आदेश दिनांक 29.12.2017 से उदभूद सत्र प्रकरण।

आदेश

(धारा 232 दं0प्र0स0 के अंतर्गत आज दिनांक 05.12.2019 को पारित किया गया)

01– प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 307 अथवा 307 सपठित धारा 34 भादवि के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप लगाये गये हैं कि अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक 23.08.2017 को रात करीब 08:00 बजे से 08:15 बजे के बीच अंतर्गत थाना आनंदपुर से 06 किमी पूर्व में स्थित ग्राम काछीखेड़ा में फरियादी नितिन शर्मा के निवास/घर के बाहर फरियादी पक्ष को मॉ–बहिन के अश्लील शब्द/गालियां उच्चारित कर उन्हें क्षोभ कारित किया तथा आरोपी सचिन शर्मा ने सह आरोपी अरविंद शर्मा के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी पक्ष बृजमोहन शर्मा को विद्युत तार की डोरी डालने की बात के विवाद पर से नाराज होकर उसे जान से खत्म करेन/मारने हेतु उसे गंभीर शारीरिक क्षति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में आरोपी अरविंद शर्मा ने बृजमोहन के दोनों हाथ पकड़े व आरोपी सचिन ने आहत बृजमोहन को कुल्हाड़ी से हमला किया, कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के अपराध के दोषी होते।

02– पैरा–एक में संक्षिप्त तथ्यात्मक स्थिति का उल्लेख है, यह आदेश धारा 232 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पारित किया जा रहा है, अतः विस्तृत तथ्यात्मक स्थिति का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है।

03– पैरा–एक में उल्लेखित आरोप के विरचित किए जाने पर अभियुक्तगण द्वारा दोषी नहीं होने का अभिवाक् करते हुए विचारण चाहा गया था।

04— प्रकरण में अभियुक्तगण से स्पष्टीकरण लिए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य न होने से उसका परीक्षण नहीं किया गया है। बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

विनिश्चय हेतु प्रश्न यह है कि :—

01— क्या अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक 23.08.2017 को रात करीब 08:00 बजे से 08:15 बजे के बीच अंतर्गत थाना आनंदपुर से 06 किमी पूर्व में स्थित ग्राम काछीखेड़ा में फरियादी नितिन शर्मा के निवास/घर के बाहर फरियादी पक्ष को मॉ—बहिन के अश्लील शब्द/गालियां उच्चारित कर उन्हें क्षोभ कारित किया ?

02— क्या आरोपी सचिन शर्मा ने सह आरोपी अरविंद शर्मा के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी पक्ष बृजमोहन शर्मा को विद्युत तार की डोरी डालने की बात के विवाद पर से नाराज होकर उसे जान से खत्म करेन/मारने हेतु उसे गंभीर शारीरिक क्षति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में आरोपी अरविंद शर्मा ने बृजमोहन के दोनों हाथ पकड़े व आरोपी सचिन ने आहत बृजमोहन के उपर कुल्हाड़ी के हमले से आहत बृजमोहन की मृत्यु कारित हो जाती तो आप हत्या के अपराध के दोषी होते ?

<u>निराकरण सनिष्कर्ष</u>

05— फरियादी नितिन शर्मा अ0सा0—8 तथा आहत बृजमोहन अ0सा0—1 सहित साक्षीगण राजेश अ0सा0—2, प्रकाश शर्मा अ0सा0—3, अमित शर्मा अ0सा0—4, रतन लाल अ0सा0—5, प्रमोद शर्मा अ0सा0—6, ममता अ0सा0—7 एवं मोनू उर्फ भगवानसिंह अ0सा0—9 ने अपनी साक्ष्य में आरोपीगण को पहचाना जाना प्रकट करते हुये व्यक्त किया है तथा फरियादी अ0सा0—8 नितिन शर्मा एवं आहत बृजमोहन अ0सा0—1 ने प्रकट किया है कि घटना दिनांक को रात करीब 08—09 बजे आहत बृजमोहन घर के बाहर चबूतरे पर बैठा होना बताते हुये उसी समय दो व्यक्ति द्वारा अनर्गल बातचीत करना और मना करने पर गाली देना और गाली देने से मना करने पर कुल्हाड़ी मार देना व्यक्त किया है तथा सचिन और उसकी मॉ द्वारा बीच बचाव करने पर सचिन की मॉ को भी कुल्हाड़ी से मारना व्यक्त किया है। बृजमोहन अ0सा0—1 ने उसके साथ कोई मारपीट न किया जाना व्यक्त किया है। यहां तक कि इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने के उपरान्त इस साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि भोपाल में नायब तहसीलदार को प्रपी—2 का ए से ए ''आपका क्या नाम है———— नहीं तक का बयान दिया था'' और न ही प्रपी—2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

06— फरियादी नितिन शर्मा अ0सा0—8 ने अपनी साक्ष्य में बृजमोहन अ0सा0—1 के न्यायालयीन कथन का पूर्ण समर्थन करते हुये उसके पिता का बाहर चबूतरा पर बैठे होना तथा दो व्यक्ति जिन्हें पहचानना अस्वीकार किया है द्वारा आकर गाली गलौंच करना तथा कुल्हाड़ी उसके पिता को मारना व्यक्त किया है। नितिन शर्मा अ0सा0—8 द्वारा देहाती नालिसी प्र0पी0—9 एवं घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0—10 के ए से ए

भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना व्यक्त किया है तथा यह भी व्यक्त किया है पुलिस द्वारा उससे कोई पूछताछ व बयान नहीं लिये जाना व्यक्त किया है।

07— अभियोजन साक्षी मोनू उर्फ भगवानसिंह अ0सा0—9 ने अपनी साक्ष्य में घटना एक—डेढ़ वर्ष पहले पुलिस द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाना पर लाना एवं उसके सामने लिखापढी किया जाना तथा कागजों पर हस्ताक्षर कराया जाना व्यक्त किया है तथा उसके सामने आरोपी से कोई पूछताछ न करना न ही कोई बात बताया व्यक्त करते हुये मेमोरेण्डम प्र0पी0—12, गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0—13 एवं प्र0पी0—14 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना व्यक्त किया है।

08— अभियोजन द्वारा साक्षीगण राजेश अ0सा0—2, प्रकाश शर्मा अ0सा0—3, अमित शर्मा अ0सा0—4, रतन लाल अ0सा0—5, प्रमोद शर्मा अ0सा0—6, ममता अ0सा0—7 ने घटना से अनभिज्ञता प्रकट करते हुये पुलिस द्वारा कोई पूछताछ न किया जाना और न ही बयान दिये जाना व्यक्त किया है। आरोपीगण के अधिवक्ता द्वय द्वारा आहत् बृजमोहन की चिकित्सकी रिपोर्ट दिनांक 24.08.2017 एवं उसके संबंध में करायी गयी क्योरी जावक क्र. 2199/17 दिनांक 26.8.17 के संबंध में चिकित्सक डाक्टर विवेक अग्रवाल द्वारा दिये गये अभिमत को स्वीकार करते हुये इस आशय की टीप संबंधित दस्तावेजों पर अंकित की है।

09— फरियादी अ0सा0—8 नितिन शर्मा एवं आहत बृजमोहन अ0सा0—1 सहित साक्षीगण राजेश अ0सा0—2, प्रकाश शर्मा अ0सा0—3, अमित शर्मा अ0सा0—4, रतन लाल अ0सा0—5, प्रमोद शर्मा अ0सा0—6, ममता अ0सा0—7 एवं मोनू उर्फ भगवानसिंह ने अपनी साक्ष्य में यह व्यक्त नहीं किया है कि घटना के समय जिन दो व्यक्तियों के द्वारा अ.सा.—1 बृजमोहन एवं अ. सा.—8 नितिन शर्मा द्वारा, बृजमोहन के साथ गाली गलौंच कर मारपीट की गयी, वह दो व्यक्ति कौन थे, ऐसा नहीं बताया है, यहां तक कि मुख्य परीक्षण में आरोपी सचिन और उसकी मां का बचाने आना बताया है और उन लोगों के द्वारा सचिन की मां को भी कुल्हाडी दी ऐसा बताया है। अन्य किसी भी साक्षीगणों ने अभियोजन की घटना का तनिक मात्र भी समर्थन न करते हुये, जब संपूर्ण अन्य साक्षीगणों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया तो उनके द्वारा पक्षद्रोही घोषित होने के बाद भी अभियोजन की घटना का कोई समर्थन नहीं किया है। यह अवश्य है कि अ.सा.—1 बृजमोहन, अ.सा.—2 राजेश एवं अ.सा.—8 नितिन शर्मा ने इस बाात को भी गलत बताया है कि उनका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है।

10— उपरोक्त संपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा बृजमोहन को लोकस्थल या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करते हुये सामान्य आशय निर्मित कर उस आशय के अग्रसरण में बृजमोहन को कुल्हाडी जो कि धारदार उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है से हमला कर ऐसी चोट पहुंचायी कि यदि बृजमोहन की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के अपराध के दोषी होते, प्रमाणित नहीं कर सका है और न ही संपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य से

आरोपीगणों के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 294, 307 अथवा 307 सपठित धारा 34 भादवि के संबंध में अभियोजन के मामले को समर्थन प्राप्त होता हो। अतः साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध धारा 294, 307 अथवा 307 सपठित धारा 34 भादवि प्रमाणित नहीं हैं।

11— अतः अभियुक्तगण सचिन शर्मा एवं अरविन्द को धारा **294 एवं 307 अथवा 307 सपठित धारा 34** भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— अभियुक्तगण के जमानत एवं व्यक्तिगत बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

13— प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल एक कुल्हाड़ी लोहे की अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे।

आदेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट विदिशा को भेजी जावे।

स्थान : लटेरी

दिनांकः 05.12.2019

(विवेक सिंह रघुवंशी)
अपर सत्र न्यायाधीश
लटेरी, जिला विदिशा म0प्र0

प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु)